जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

54/15

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 54/2015 मनीराम पुत्र गंगाजल जाति मेघवाल निवासी 10 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ 2–फूसाराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 10 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ 3–देशराज 4–डालूराम 5–मोडूराम 6–धीमाराम 7–सरस्वती 8–अमरसिंह 9–स्टेट जरिये तहसीलदार सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.03.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 81/2015 अनवानी फूसाराम वगैरा बनाम सरस्वती वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 12.10.2015 के अनुसार संबंधित प्रकरण का निर्णय दिनांक 09.07.2015 को किया जा चुका है और उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश करने पर उनके द्वारा अभिलेख चाहे ज़ाने पर दिनांक 05.08.2015 को पत्रावली उन्हे भिजवाई जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा टिप्पणी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र उनके न्यायालय में प्राप्त होनें से पूर्व ही प्रकरण का निस्तारण होने के कारण टिप्पणी भिजवाया जाना अपेक्षित नही है।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित मूल प्रकरण सं0 81/2015 फूसाराम बनाम सरस्वती वगैरा का निर्णयदिनांक 09.07.2015 को ही किया जा चुका है और उसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी को होने पर रिकार्ड उन्हे भिजवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी हो गया है। अतः खारिज करने योग्य है।

697
6-4-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर